ुनर्विचार का सुझाव दिया था। धारीवाल ने व्र शासन सचिव दिनेश कुमार से चर्चा की। ल में 1240 मेगवाट क्षमता की सातों यूनिटों मिली हुई है, इन्हें तब तक बंद नहीं किया नुमति लेने का प्रयास किया जायेगा। यदि ं मिली तो सरकार कोटा थर्मल में नया सौर लते ही पिछले एक सप्ताह से चिंतित कोटा ं सहित व्यापारियों एवं नागरिक संगठनों में ठनों ने धारीवाल का आभार जताया है।

लाइसेंस दिल्ली से बनाना पड़ता जो कि बहुत मुश्किल हो गया है। साथ ही लाइसेंस फीस भी बढ़ाकर 37500 रुपये हो गई है। इसके साथ ही वहां के नियम सख्त है कि हर किसी के लिए वहां के मापदंडों पर खरा उतरना भी सम्भव नहीं हो पा रहा है। अगर लाइसेंस के लिए इस प्रकिया में व्यापक बदलाव न हुआ तो आने वाले कुछ महीनों में पापड़ भुजिया के सैंकड़ों कारखाने बन्द हो जाएंगे।

उदयपुर/नि.सं.। गीतांजली मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपचार के लिए आई एक मरीज के वाल्व सिकुड़ने की समस्या थी और मामला संवेदनशील था, क्योंकि वह गर्भवती थी। अस्पताल की कार्डियक टीम ने विचार-विमर्श के बाद बलूनिंग उपचार प्रणाली अपनायी और मरीज को रोगमुक्त कर दिया। गर्भस्थ शिशु भी स्वस्थ है। डॉ. रमेश पटेल ने बताया कि रोगी को जब हॉस्पिटल लाया गया तब वह 5 माह की गर्भवती थी और तेज सांस चलना, घबराहट होना जैसी समस्या थी और समय के साथ परेशनियां बढ़ रही थी। जांच में पता लगा कि रोगी के वाल्व में सिकुड़न है। ऐसे में रोगी का पहले दवाओं से इलाज शुरू किया परन्तु इससे तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो रोगी के वाल्व की बलूनिंग करने का फैसला लिया। टीम ने पांव की नस के द्वारा इसे आसानी से अंजाम देते हुए सफल उपचार किया।

नेशनल • इंटरनेशनल

ामों में भंडारण की पूरी इन पोर्टल तैयार किया

गोदामों भंडारण का ब्योरा एकत्रित करने हल से भंडारण सुविधाओं की उपलब्धता खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गोदाम में अनाज भंडार के बारे में भी ी के अनुसार गोदामों के बारे में आंकड़ा तथा भंडारण क्षमता एकत्र करने के लिये र किया गया है। अधिकारी के अनुसार, ा कानून के उद्देश्य को पारदर्शी तरीके से कहा कि निजी गोदामों में भंडारण के बारे ये देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने को ती है। अधिकारी ने कहा कि निजी गोदाम कता है और गोदाम तथा भंडारण के बारे बसाइट में भंडारण क्षमता और भंडार की रखने को लेकर डैशबोर्ड यानी एक जगह

ढ़ाने के लिये ऋण गारंटी करायेगी पूंजी

ने कहा कि सरकार सामानों के निर्यात पर ारंटी निगम (ईसीजीसी) में अगले पांच 000 करोड़ रुपये तक के निर्यात ऋण की लब्ध कराकर निर्यात को बढ़ावा देता है। ा समर्थन मिलता है। वित्त मंत्री ने कोविड देने के लिये कुछ उपायों की घोषणा की। ने के लिये पांच साल के दौरान ईसीजीसी र बीमा संरक्षण 88,000 करोड़ रुपये तक वित्त मंत्री ने कहा, ''हमने राष्ट्रीय निर्यात ा फैसला किया है। यह न्यास अब भारतीय ान परियोजना निर्यात के लिये अतिरिक्त गा।'' एनईआईए ट्रस्ट ने 31 मार्च 2021 परियोजनाओं को समर्थन दिया है। ये कों की हैं। एनईआईए ट्रस्ट जोखिम कवर परियोजना निर्यात को समर्थन देता है।

ा संपत्तियों के मौद्रीकरण ी सरकार : सीतारमण

ा ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक-भूत ढांचागत परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण ायेगी। इससे केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में मदद मिलेगी। आर्थिक राहत के उपायों ी परियोजनाओं के लिये मौजूदा प्रक्रिया हैं। सीतारमण ने कहा कि इससे संपत्तियों ढ़ने में मदद मिलेगी। व्यय सचिव टी वी घोषणा आर्थिक मामले विभाग द्वारा की मण ने यह घोषणा की थी कि नये निर्माण संपत्तियों का मौद्रीकरण अति महत्वपूर्ण ढांचागत परिसंपत्तियों की एक संभावित गी।''

राजनीतिक दलों की आयकर विवरणी मांगने पर आयकर विभाग का विरोधाभासी बयान

नयी दिल्ली/एजेंसी

सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत राजनीतिक दलों की आयकर विवरणी के बारे में जानकारी मांगे जाने पर आयकर विभाग ने पहले तो यह कहा कि उसके पास इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है और फिर बाद में उसने विरोधाभासी जवाब में छूट संबंधी उपनियम का हवाला देते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया। यह दावा एक आरटीआई कार्यकर्ता ने मंगलवार को किया। आरटीआई मामलों की सर्वोच्च निर्णायक संस्था केंद्रीय सूचना आयोग ने 2008 में आदेश दिया था कि पारदर्शिता कानून के तहत राजनीतिक दलों की कर विवरणी का खुलासा किया जाना चाहिए और इसके बाद के कई आदेशों में भी उसने अपना यह रुख बार-बार दोहराया।

आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक ने पिछले 10 साल में राजनीतिक दलों द्वारा दाखिल कर विवरणी प्राप्त करने के लिए आयकर विभाग से संपर्क किया। आरटीआई ने जवाब दिया, 'आवेदक को सूचित किया जाता है कि जो जानकारी मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है, उसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा पंजीकृत जानकारी के रूप में नहीं रखा गया है और न ही मौजूदा नियमों के तहत सीपीआईओ के लिए इस जानकारी को रखना आवश्यक है।'

आयकर विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने उच्चतम न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि यदि मांगी गई जानकारी लोक प्राधिकरण के रिकॉर्ड में नहीं है और यदि किसी कानून या नियम के तहत इसे रिकॉर्ड में रखने की अनिवार्यता नहीं है, तो ऐसे मामले में यह अधिनियम लोक प्राधिकारी पर दायित्व नहीं डालता कि वह ऐसी गैर-उपलब्ध जानकारी को एकत्र करे या उसका मिलान करे और उसे आवेदक को मुहैया कराए।

सीपीआईओ ने आरटीआई अधिनियम से छूट देने वाले 10 उपनियमों में से पांच का हवाला देते हुए रेखांकित किया कि मांगी गई जानकारी उनके पास नहीं है और यह छूट के दायरे में आती है। उन्होंने शीर्ष अदालत के एक अन्य आदेश का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि कर देने वालों से संबंधित जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है जो आरटीआई अधिनियम के तहत छूट प्राप्त है।

नायक ने कहा, 'सीपीआईओ ने इस आरटीआई आवेदन का बिल्कुल विरोधाभासी जवाब दिया। पहले उन्होंने दावा किया कि उसके पास जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सूचना आरटीआई आवेदन में बताए गए वांछित प्रारूप में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने जानकारी देने से इनकार करने को सही ठहराते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से उस पैरा का इस्तेमाल किया, जिसका पहले भी बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। फिर उन्होंने यह भी दावा किया कि छूट संबंधी 10 में से पांच उपनियम मांगी गई जानकारी पर लागू होते हैं। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार जो जानकारी उनके पास है ही नहीं, उस पर छूट कैसे लागू हो सकती है।

सहकारी बैंक प्रमुख प्रबंधकीय कार्य आउटसोर्स नहीं करेंगे : आरबीआई

मुंबई/एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को सहकारी बैंकों को नीति निर्माण, आंतरिक ऑडिट और केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) नियमों के संदर्भ में अनुपालन, कर्ज मंजूरी और निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन जैसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्य आउटसोर्स नहीं करने के निर्देश दिये।

आरबीआई ने सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन को लेकर दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि बैंक अनुबंध के आधार पर पूर्व कर्मचारियों समेत विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकते हैं, जो कुछ शर्तों पर निर्भर करेगा। आउटसोर्सिंग से आशय निरंतर आधार पर गतिविधियों को अंजाम देने के लिये तीसरे पक्ष का उपयोग करना है।

सहकारी बैंक लागत कम करने के साथ-साथ विशेषज्ञों का लाभ लेने के लिये आउटसोर्सिंग का उपयोग बढ़ाते जा रहे हैं। आरबीआई ने कहा कि हालांकि निर्णय के वाणिज्यिक पहलुओं सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत गतिविधि को आउटसोर्स करने की जरूरत पर विचार करना पूरी तरह से बैंकों का विशेषाधिकार है। लेकिन इसके परिणामस्वरूप बैंकों को विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड

CIN: L67120RJ1993PLC061489
पंजीकृत कार्यालय : बी-19, लाल बहादुर नगर, मालवीय नगर, जयपुर-302017 (राजस्थान),
फोन व फैक्स: 0141-2554270, 0141-4034062, वेबसाईट: www.shrikalyan.co.in, ई-मेल: shrikalyan25@hotmail.com

31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वार्षिक वर्ष	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
		अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	50.10	58.99	218.60	263.85
2.	अवधि का शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं से पहले)	(9.11)	(54.08)	(12.16)	(51.58)
3.	कर के पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	(9.11)	(54.08)	(12.16)	(51.58)
4.	कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं के बाद)	(7.69)	(36.02)	(8.96)	(34.15)
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/हानि (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करते हुए]	(7.69)	(36.02)	(8.96)	(34.15)
6.	समता अंश पूंजी	997.45	997.45	997.45	997.45
7.	रिज़र्व (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पूनर्मूल्यांकन रिजर्व के अतिरिक्त)	-	-	-	-
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) रुपये में				
	मूल	(0.01)	(0.37)	(0.01)	(0.34)
	तरल	(0.01)	(0.37)	(0.01)	(0.34)

टिप्पणी : (अ) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता एवं डिस्क्लोजर आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट **www.bseindia.com** तथा कम्पनी की वेबसाईट **www.shrikalyan.co.in** पर उपलब्ध है। (ब) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए तिमाही एवं वार्षिक वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा एवं सिफारिश लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई एवं 29 जून, 2021 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

वास्ते श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ता./- राजेन्द्र कुमार जैन
अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक (DIN:00168151)

स्थान : जयपुर
दिनांक : 29 जून, 2021

CMYK